

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:-भवन/स्था0-पी0-03-पदस्थापन-01/02 (अंश).....152.....पटना दिनांक-24/7/17

कार्यालय आदेश

श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110 तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम-171 के आलोक में मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण के क्रम में ₹ 5,000/- (पाँच हजार रूपये) से अधिक तथा ₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र तक की राशि के अभिश्रवों को पारित करने एवं क्रयादेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक:-24/7/17

ज्ञापांक:- 6512 (3)

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/उप निदेशक (क्रय)/आय व्ययक पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

24/7/17